न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 01/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री प्रेम सिंह मीना पुत्र श्री राम केश, (सुपरवाईजर आई.आर.सी.टी.सी. रिफेशमेन्ट रूम, प्लेटफॉर्म नं0 1, रेलवे स्टेशन, अजमेर) C/o IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur - 302016
घर का पता – ग्राम चैनपुरा का पुरा, पोस्ट – Baridya, जिला करौली
2. M/s IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur – 302016
3. श्री सुरेन्द्र कुमार मोहनानी, प्रो0 मैसर्स सुरेश कुमार मोहनानी, 163/3, आर. एच.बी. कॉलोनी, पंचशील नगर, अजमेर
4. मैसर्स सुरेश कुमार मोहनानी, 163/3, आर.एच.बी. कॉलोनी, पंचशील नगर, अजमेर
5. श्री रमेश सिंह रावत, Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited, Plot No. SP 39-40, RIICO Industrial Area, Kaladera, Jaipur-303801
6. Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited, Plot No. SP 39-40, RIICO Industrial Area, Kaladera, Jaipur-303801

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 व 52 के तहत

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

उपस्थित :
1– श्री विभोर गौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
2– श्री एस0के0 टेलर, वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 16.03.2021

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्डेड Sweetened Carbonated Water Coca Cola का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.12.2015 को 10.00 ए.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स आई.आर.सी.टी.सी. जनआहार, प्लेटफॉर्म नं0 1, रेलवे स्टेशन, अजमेर पर पहुंचे श्री प्रेम सिंह मीना मौके पर उपस्थित मिले जो यात्रियों को Sweetened Carbonated Water Coca Cola का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता के रिफ्रेशमेन्ट रूम में 26 बोतल प्रत्येक 750 एम.एल. Sweetened Carbonated Water Coca Cola के यात्रियों को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमे से 16 बोतल प्रत्येक 750 एम.एल. नमूना जॉच हेतु खरीदी एवं राशि रूपये 560/– रूपयें श्री प्रेम सिंह मीना को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री प्रेम सिंह मीना को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा Sweetened Carbonated Water Coca Cola के 750 एम.एल. की 16 बोतलों को चार हिस्सों (प्रत्येक में 04 बोतल 03 लीटर) में बांटकर नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक NWR-109 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डीओ/उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/109/जेपी दिनांक 05.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल.एस–1573/एक्ट/2015/586 दिनांक 27.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Sweetened Carbonated Water Coca Cola खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स सुरेश कुमार मोहनानी, 163/3, आर. एच.बी. कॉलोनी, पंचशील नगर, अजमेर एवं ग्रुप जनरल मैनेजर, नई दिल्ली व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, अजमेर से क्रमशः पत्र दिनांक 13.04.2016, 13.05.2016 व 06.05.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। इनके द्वारा खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08370013638, अनुज्ञा पत्र नं0 10012013000229 एवं क्रय बिल दिनांक 27.04.2015 की छायाप्रति पेश की गई। Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd. SP 39-40 RIICO Industrial Area, Kaladera, Chomun, Rajasthan ने नोमिनी फॉर्म नं0 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें श्री रमेश सिंह रावत (नोमिनी) Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd. SP 39-40 RIICO Industrial Area, Kaladera, Chomun, Rajasthan का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 6 जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 6 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित Sweetened Carbonated Water Coca Cola निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होने के आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 6 का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य उत्पाद में मिलाई गई शर्करा की मात्रा उत्पाद के लेबल पर अंकित न होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन माना है। इस सम्बन्ध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.स.1–94(1) एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा नियम 2.10.6(1)(1) में संशोधन किया जा चुका है। जिसके अनुसार मिलाई गई शर्करा की मात्रा का लेबल पर अंकन किये जाने को विलोपित कर दिया गया है। अतः शर्करा की मात्रा को अब गैर एल्कोहॉलिक कार्बनिकृत बेवरेजेज पर अंकित करना अनिवार्य नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पश्चातवर्ती मापदण्ड लगा देने से नमूना मिसब्राण्डेड पाया गया है जो विधिनुकूल नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपनी एडवायजरी दिनांक 08.12.2017 से ऐसे प्रकरणों को विड्रो किये जाने बाबत निर्देशित किया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान 2016 (1) FAC 561 पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया, जिसके अंतर्गत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "पीनल लॉ विधि" में प्रकरण के निर्णय से पूर्व हुए कानूनी संशोधन का लाभ "Retrospective Effect" से आरोपी को दिया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विवेचना इस प्रकार है – "A retrospective statute is different from an ex post facto statute. "Every ex post facto law...." "Must necessarily be retrospective law is not an ex post facto law. Every law that takes away or impairs rights vested agreeably to existing laws is retrospective. and is generally unjust and may be oppressive; it is a good general rule that a law shouid have no retrospect, but in cases in which the laws justly and for the benefit of the community and alsoof individuals relate to a time antecedent to their commencement: as statutes of oblivion or of pardon. They are certainly retrospective, and literally both concerning and after the facts committed. But I do not consider any law ex post facto within the prohibition that mollifies the rigour of the criminal law, but only those that create or aggravate the crime, or increase the punishment or change the rules of evidence for the purpose of conviction. There is great and apparent difference between making an unlawful act lawful and the making an innocent action criminal and punishing it as a crime."

"It is quite clear that insofar as the Central Amendment Act creates new offences or enhances punishment for a particular type of offence no person can be convicted by such ex post facto law nor can the advanced punishment prescribed by the amendment be applicable. But insofar as the Central Amendment Act reduces the punishment for an offence punishable under section 16(1)(a) of the act, there is no reason why the accused should not have the benefit of such reduced punishment." वकील अप्रार्थीगण का आगे कथन है कि इस प्रकरण में अभी तक निर्णय पारित नहीं हुआ है इसलिये भारत के राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित संशोधन से आक्षेपित उल्लंघनता का विनियम 2.10.6(1)(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में शर्करा की मात्रा लेबल पर घोषणा स्वरूप अंकित करने का प्रावधान विलोपित कर दिये जाने के कारण प्रकरण में कार्यवाही सारहीन हो गई है। उक्त संशोधन का लाभ अप्रार्थीगण को न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के तहत दिया जाना न्यायसंगत है। अन्त में उन्होने कथन किया कि इस प्रकार उक्त Sweetened Carbonated Water Coca Cola मिसब्राण्ड नहीं है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Sweetened Carbonated Water Coca Cola का नमूना दिनांक 05.06.2015 को लिया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई है, जिसमें शर्करा की मात्रा अंकित न होने से खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड माना है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 11.09.2017 के द्वारा खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.10.6(1)(1) में उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी दिनांक 08.12.2017 से ऐसे मामलों को विड्रो किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में निर्णय से पूर्व उक्त संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी उक्त अधिसूचना से किये गये संशोधन का लाभ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत अप्रार्थीगण को दिया जाना न्यायसंगत है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) एवं 51, 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2015 में वर्णित विनियम 2.10.6(1)(1) की उल्लंघनता का आरोप संदेह रहित तौर पर प्रमाणित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2021/1120-22 दिनांक : 26.4.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
2- अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जवाहर सर्किल, जयपुर
3- श्री प्रेम सिंह मीना पुत्र श्री राम केश, (सुपरवाईजर आई.आर.सी.टी.सी. रिफ्रेशमेन्ट रूम, प्लेटफॉर्म नं0 1, रेलवे स्टेशन, अजमेर)
C/o IRCTC Regional Office, 708, 7th Floor, Crystal mall, Sawai Jai Singh Highway, Banipark Jaipur - 302016
घर का पता – ग्राम चैनपुरा का पुरा, पोस्ट – Baridya, जिला करौली